छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 0771–2439562, फैक्स 0771–2331525, 2446556 वेबसाइट : www.psc.cg.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक/ 113 /08/चयन/2024 नवा रायपुर, दिनांक 14-11-2024

साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु "सूचना पत्र"

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2023
(विधि एवं विधायी कार्य विभाग)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्र. 08/2023/परीक्षा/दिनांक 01.06.2023 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 07.06.2023 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2023 (विधि एवं विधायी कार्य विभाग) के कुल 49 विज्ञापित पद हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 25 अगस्त 2024 को किया गया तथा परीक्षा परिणाम दिनांक 08.10.2024 को जारी किया गया है। उक्त लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल 151 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किया गया है। आयोग द्वारा चिन्हांकित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 02.12.2024 से 11.12.2024 तक आयोजित किया जावेगा।

उपरोक्त पदों के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली **प्रथम पाली–** पूर्वान्ह 10.00 बजे से 01.00 बजे तक तथा **द्वितीय पाली–** अपरान्ह 02.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जायेगा। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार में प्रथम पाली पूर्वान्ह 9.30 बजे तथा द्वितीय पाली अपरान्ह 01.30 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण–पत्र" ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में शैक्षणिक दस्तावेजों/स्थायी जाति/निवास/आय/निःशक्तजन प्रमाण पत्र/पहचान पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों के मूल प्रति तथा एक–एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता/अन्य प्रमाण पत्रों की कमी होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यथियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन रहेगी।

(छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित)

14·11·24

परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर